भारतीय अंतरिक्ष नीति – 2023

विषय सूची

संकेताक्षरों की सूची 2

परिभाषाएं 3

1. प्रस्तावना 5
2. दृष्टि 5
3. कार्यनीति 5
4. गैर-सरकारी इकाइयाँ 6
5. इन-स्पेस- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र 7
6. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 9
7. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 10
8. अंतरिक्ष विभाग 10
9. प्रयोज्यता तथा क्रियान्वयन 11

संकेताक्षरों की सूची

1.	अं.वि.	: अंतरिक्ष विभाग
2.	डी.ओ.टी.	: दूरसंचार विभाग
3.	जी.एस.डी.	: भू-प्रतिदर्श दूरी
4.	जी.एस.ओ.	: भू-स्थिर कक्षा
5.	इन-स्पेस	: भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र
6.	इसरो	: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
7.	आई.टी.यू.	: अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ
8.	एन.जी.ई.	: गैर सरकारी इकाई
9.	एन.जी.एस.ओ.	: गैर भू-स्थिर कक्षा
10.	एनसिल	: न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
11.	एस.सी.सी.	: उपग्रह नियंत्रण केंद्र
12.	टी.टी. एवं सी.	: दूरमिति, अनुवर्तन एवं आदेश
13.	डब्ल्यू.पी.सी.	: बेतार योजना एवं समन्वयन

परिभाषाएं

1. "प्राधिकरण" से अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्यरत किसी इकाई को इन-स्पेस द्वारा अनुमति प्रदान करना अभिप्रेत है;
2. "निःशुल्क हवाई नौवहन संकेत" से सभी प्रयोक्ताओं के लिए उपग्रह नौवहन प्रणालियों द्वारा सेवा क्षेत्र में निःशुल्क प्रसारण किये जाने वाले नागरिक नौवहन संकेत अभिप्रेत हैं;
3. "जी.एस.डी." से जमीन पर मापित दो क्रमागत पिक्सल केंद्रों के बीच की दूरी अभिप्रेत हैं;
4. "भारतीय कक्षीय संसाधन" से आई.टी.यू. फाइलिंग के माध्यम से भारतीय प्रशासन द्वारा अर्जित किये गये या अर्जित किये जा रहे कोई कक्षीय संसाधन अभिप्रेत हैं;
5. "आई.टी.यू. फाइलिंग" से कक्षीय संसाधनों को प्राप्त करने के लिए आई.टी.यू. को प्रस्तुत किया जाना वाला आवदेन अभिप्रेत है;
6. "एन.जी.ई." से (i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत संस्थापित कंपनी या (ii) लिमिटेड दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत स्थापित साझीदार फर्म (iii) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत स्थापित न्यास (iv) भारत में प्रासंगिक कानून के अंतर्गत शामिल लोगों के संघ या व्यक्तियों के निकाय अभिप्रेत हैं;
7. "गैर भारतीय कक्षीय संसाधन" से भारत के अतिरिक्त किसी देश द्वारा अर्जित या अर्जित किये जा रहे कक्षीय संसाधन अभिप्रेत है;
8. "कक्षीय संसाधन" से किसी उचित आई.टी.यू. फाइलिंग के माध्यम से प्राप्त या प्राप्त किये जा रहे संबद्ध आवृत्ति स्पेक्ट्रम तथा कवरेज के साथ-साथ किसी जी.एस.ओ. स्लॉट और / या एन.जी.एस.ओ. अभिप्रेत है;
9. "सुदूर संवेदन" से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, भू उपयोग तथा पर्यावरण सुरक्षा को बेहतर बनाने सहित किसी अन्य उद्देश्य के लिए अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का संवेदन करना अभिप्रेत है;
10. "एस.सी.सी." से टी.टी. एवं सी. भू स्टेशनों तथा संबद्ध संसाधन उपकरण सहित उपग्रहों के मॉनीटरन और नियंत्रण के लिए उपग्रह नियंत्रण सुविधा अभिप्रेत है;
11. "अंतरिक्ष क्रियाकलाप" से अन्य बातों के साथ प्रमोचन, प्रचालन, निर्देश और / या किसी अंतरिक्ष संसाधन का बाह्य अंतरिक्ष से पुनः प्रवेश सहित अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलाप अभिप्रेत है।
12. "अंतरिक्ष संसाधन" से :
    (i) पृथ्वी के चारों तरफ कक्षीय या उप-कक्षीय प्रक्षेप पथ पर या पृथ्वी की कक्षा से बाहर प्रमोचित किया गया या प्रमोचित किया जाने वाला कोई संसाधन;
    (ii) उप खंड (i) में बताए गए किसी संसाधन का कोई संघटक अवयव, या
    (iii) समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य संसाधन अभिप्रेत है;
13. "टी.टी. एवं सी. भू-केंद्र" से किसी अंतरिक्ष संसाधन के अनुवर्तन और आदेश से दूरमिति प्राप्त करने के लिए कोई भू केंद्र अभिप्रेत है।

14. “डब्ल्यू.पी.सी.” से आई.आई.टी.यू. में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय का बेतार योजना एवं समन्वयन स्कंध अभिप्रेत है। दूरसंचार विभाग डब्ल्यू.पी.सी. स्कंध देश में रेडियो स्पेक्ट्रम प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है तथा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आवृत्ति रजिस्टर में अंतरराष्ट्रीय आवृत्ति समन्वयन, अधिसूचना तथा रिकार्डिंग हेतु आई.टी.यू. में भारत के लिए अधिसूचना जारी करने वाले प्रशासन के तौर पर कार्य करता है।

BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE

1. प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों को प्रवर्तित किया गया, जिन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में आद्योपांत गतिविधियों हेतु एन.जी.ई. की संवर्धित भागीदारी एवं उन्हें समान अवसर प्रदान करने के द्वार खोल दिए।

इन सुधारों के बाद, एक उन्नतिशील अंतरिक्ष परितंत्र का निर्माण करने के उद्देश्य से सरकार विभिन्न हितधारकों को नियामक निश्चितता प्रदान करना चाहती है।

इस प्रकार भारतीय अंतरिक्ष नीति को सुधारात्मक दृष्टिकोण के क्रियान्वयन के उद्देश्य से मंत्रिमंडल के अनुमोदन द्वारा एक सर्वव्यापी, समावेशी और गतिशील ढ़ांचे के रूप में तैयार किया गया है।

2. दृष्टि

राष्ट्र के समाजार्थिक विकास व सुरक्षा, पर्यावरण एवं जीवन की संरक्षा, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण को जारी रखने, वैज्ञानिक जिज्ञासा और जन जागरुकता में वृद्धि के लिए;

अंतरिक्ष क्षमताओं का संवर्द्धन करना; अंतरिक्ष में फलती-फूलती वाणिज्यिक उपस्थिति को साकार करना, प्रोत्साहन देना और विकसित करना; संबद्ध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास तथा प्राप्त लाभों के संचालक के रूप में अंतरिक्ष का उपयोग करना; अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आगे बढ़ाना एवं सभी हितधारकों के बीच अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परितंत्र का निर्माण करना;

3. कार्यनीति

अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए निर्धारित दूरदर्शिता का अनुसरण करते हुए सरकार अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की समग्र मूल्य श्रृंखला में अंतरिक्ष और भूमि आधारित परिसंपत्तियों के निर्माण सहित निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को बढ़ाने और प्रेरित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपना रही है।

इस प्रकार, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्रों के भारतीय उपभोक्ता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों या सेवाओं (जैसे संचार, सुदूर संवेदन, डेटा सेवाएं, प्रमोचन-सेवाएं इत्यादि) का सीधा प्रापण निजी अथवा सार्वजनिक किसी भी स्रोत से कर सकते हैं।

इस उद्देश्य की दिशा में, सरकार को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देगी;

i. अंतरिक्ष कार्यक्रम के संपोषण व संवर्धन के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना।

ii. राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग से सार्वजनिक वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना।

iii. इन-स्पेस के माध्यम से, गैर-सरकारी इकाइयों को समान अवसर प्रदान करने के लिए एक स्थिर व अनुमेय विनियामक ढांचे का निर्माण करना।

iv. अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्ट-अप को ठोस सहायता प्रदान करने सहित अंतरिक्ष संबंधी शिक्षा एवं नवाचार को बढ़ावा देना।

v. समग्र प्रौद्योगिकी विकास एवं समाज में वैज्ञानिक अभिवृत्ति पुष्ट करने के लिए अंतरिक्ष का संचालक के रूप में उपयोग करना और अंतरिक्ष गतिविधियों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना।

4. गैर-सरकारी इकाइयां

अंतरिक्ष संबंधी वस्तुओं, भू-स्थित परिसंपत्तियों और संचार, सुदूर संवेदन, नौवहन इत्यादि जैसी संबंधित सेवाओं की स्थापना एवं प्रचालन के माध्यम से एन.जी.ई को अंतरिक्ष क्षेत्र में आद्योपांत गतिविधियां आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी। यह इन-स्पेस द्वारा निर्धारित निर्देशों के अधीन होगा।

एन.जी.ई. को निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा:

1. स्वयं के स्वामित्व वाले या प्रापण या पट्टे पर लिए गए जी.एस.ओ./एन.जी.एस.ओ. संचार उपग्रह के माध्यम से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाएं प्रदान करना।
2. अंतरिक्ष संसाधन परिचालनों, जैसे टी.टी. एवं सी. भू-केंद्रों एवं उपग्रह नियंत्रण केंद्र (एस.सी.सी.) के लिए भू-सुविधाओं की स्थापना एवं प्रचालन करना।
3. भारत में तथा भारत के बाहर संचार सेवाओं के लिए अंतरिक्ष संसाधन स्थापित करने हेतु भारतीय कक्षीय संसाधनों और/अथवा गैर-भारतीय कक्षीय संसाधनों का उपयोग करना।
4. कक्षीय संसाधन अर्जित करने के लिए डब्ल्यू.पी.सी./डी.ओ.टी. के माध्यम से नई आई.टी.यू. फाइलिंग करना। एन.जी.ई. गैर-भारतीय प्रशासनों के माध्यम से भी आई.टी.यू. फाइलिंग कर सकते हैं।
5. स्वयं की स्वामित्व वाली या प्रापण या पट्टे पर लिए गए उपग्रहों के माध्यम से भारत में या भारत के बाहर सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणालियों को स्थापित व प्रचालित करना।
6. भारत में अथवा भारत के बाहर उपग्रह आधारित सुदूर संवेदन डाटा और उस डेटा पर आधारित अनुप्रयोगों को प्रसारित करना।
7. सरकार द्वारा प्रदत्त या विकसित उपग्रह नौवहन, संचार और सुदूर-संवेदन के विस्तार और संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकियों एवं अनुप्रयोगों का विकास और वाणिज्यीकरण करना।
8. प्रमोचन यान, शटल आदि सहित अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों का विनिर्माण एवं प्रचालन करना, साथ ही साथ अंतरिक्ष परिवहन के लिए पुनरुपयोगी, पुनर्प्राप्य एवं पुर्नविन्यासीय प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों को डिजाइन एवं विकसित करना।
9. प्रमोचन अवसंरचना की स्थापना एवं प्रचालित करना।
10. प्रेक्षण, मॉडलिंग एवं विश्लेषण के उन्नयन के लिए अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरुकता क्षमताओं का विकास करना।
11. अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालीन संस्थिरता के लिए अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी का विकास करना।
12. अंतरिक्ष में सुरक्षित प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए आद्योपांत सेवाएं प्रदान करना।
13. किसी क्षुद्रग्रह संसाधन या अंतरिक्ष संसाधन की वाणिज्यिक पुनर्प्राप्ति में शामिल होना। ऐसी किसी प्रक्रिया से जुड़े किसी एन.जी.ई. को भारत की अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं सहित लागू कानून के अनुसार प्राप्त ऐसे किसी क्षुद्रग्रह संसाधन या अंतरिक्ष संसाधन के अधिग्रहण, स्वामित्व, परिवहन, उपयोग और विक्रय का अधिकार होगा।
14. इन-स्पेस द्वारा निर्धारित कोई अन्य वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधि करना।

5. इन-स्पेस - भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष सवंर्धन व प्राधिकरण केंद्र

इन-स्पेस एक स्वायत्त सरकारी संगठन की तरह कार्य करेगा, जो देश में अंतरिक्ष क्रियाकलापों के संवर्धन, ठोस सहायता, मार्गदर्शन तथा उन्हें प्राधिकृत करने हेतु अधिदेशित है। इस उद्देश्य के लिए, इन-स्पेस समय-समय पर दिशानिर्देश और प्रकियाएं जारी करेगा, जो अन्य बातों के साथ ही व्यावसायिक सुगमता को बढ़ाएगा।

इन-स्पेस निम्नलिखित कार्य करेगा:

1. यह संगत सरकारी निर्देशों के अधीन है तथा संरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और/या विदेश नीति प्रतिफलों को ध्यान में रखते हुए सरकारी उपक्रमों के साथ ही, एन.जी.ई. द्वारा अंतरिक्ष क्रियाकलापों के प्राधिकरण के लिए एकल खिड़की एजेंसी की तरह कार्य करेगा। यह निम्नलिखित अंतरिक्ष क्रियाकलापों को प्राधिकृत करेगा:
   - क. अंतरिक्ष संसाधन/संसाधनों की स्थापना और/या प्रचालन;
   - ख. उप-कक्षीय प्रमोचन सहित प्रमोचन यानों का प्रमोचन व प्रचालन;
   - ग. स्व-अर्जित, पट्टे पर या मोबाइल प्लेटफार्म पर प्रमोचन मंचों की स्थापना तथा प्रचालन
   - घ. पुनःप्राप्ति सहित या बिना अंतरिक्ष संसाधनों का सुनियोजित पुनःप्रवेश
   - ङ. टी.टी. और सी. भू केंद्रों की स्थापना तथा प्रचालन;
   - च. एस.एस.सी. और/या उपग्रह डेटा अभिग्रहण केंद्र(द्रों) की स्थापना तथा प्रचालन।
   - छ. उच्च क्षमता अंतरिक्ष-आधारित भू प्रेक्षण डेटा का प्रसार।
   - ज. अंतरिक्ष संसाधनों की कक्षा में बिक्री/ खरीद/ हस्तांतरण।
   - झ. आवश्यकतानुसार किन्हीं अन्य प्रकार के प्राधिकरणों, जिन्हें अधिसूचित किया जाए।
2. अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए, उद्योग समूहों/ क्षेत्रों/ विनिर्माण/ हबों/ उद्भवन केंद्रो/ त्वरित्रों/ तकनीकी केंद्रों आदि का संवर्धन करना।
3. अंतरिक्ष क्षेत्र में उत्पादों/सेवाओं की वैश्विक आवश्यकताओं के लिए चिह्नित अंतरिक्ष गतिविधियों के संवर्धन तथा भारत को पसंदीदा सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय तथा विदेशी, दोनों उद्योग के साथ कार्य करना।
4. अंतरिक्ष परितंत्र को व्यापक बनाने तथा उद्योग-शिक्षा जगत के संबंध कायम करने के लिए शिक्षा जगत के साथ कार्य करना।
5. समय-समय पर यथोचित संवर्धन योजनाएं विकसित एवं शुरू करना।
6. वैश्विक मानदंडों के आधार पर अंतरिक्ष उद्योग मानकों के विकास के लिए ढ़ांचा परिभाषित करना।
7. सरकारी उपक्रमों तथा एन.जी.ई. द्वारा उपयोग को प्राथमिकता देते हुए सार्वजनिक व्यय पर सृजित सभी सुविधाओं के उपयोग के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। इसके लिए, इन-स्पेस प्राथमिकता के लिए उचित प्रक्रिया निर्धारित करेगा और इन सुविधाओं के प्रचालकों पर इन-स्पेस का निर्णय बाध्यकारी होगा।

8. अंतरिक्ष विभाग के परिसरों के अंदर एन.जी.ई. द्वारा विशिष्टीकृत तकनीकी सुविधाओं की स्थापना को साकार करना।

9. सार्वजनिक व्यय के माध्यम से एकत्रित अंतरिक्ष आधारित सुदूर संवेदन डेटा तक सरकारी इकाइयों और एन.जी.ई. का अभिगम सुगम करना।

10. तकनीकी परितंत्र के लिए निजी इकाइयों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं के विनिमय को संभव बनाना।

11. यह उन प्राधिकृत एन.जी.ई. को सुविधा तथा प्रोत्साहन प्रदान करेगा:

    11.1 जो डब्ल्यू.पी.सी./डी.ओ.टी. तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से अपने अंतरिक्ष संसाधनों के प्रचालन के लिए भारतीय आई.टी.यू. फाइलिंग के द्वारा नए कक्षीय संसाधनों का अधिग्रहण करेंगे।

    11.2 जो लागू आई.टी.यू. नियमावली एवं विनियमों के अनुसार, समन्वित और पंजीकृत भारतीय आई.टी.यू. फाइलिंग के तहत गैर-भारतीय कक्षित्र संसाधनों का उपयोग करने वाले अपने अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट्स का प्रचालन करेगा।

12. डब्ल्यू.पी.सी./डी.ओ.टी. के माध्यम से सृजित संसाधनों के लिए आई.टी.यू. फाइलिंग में सरकारी इकाइयों और एन.जी.ई. के हितों को न्यायिक रूप से संतुलित करेगा और उनके अनुप्रयोग व सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।

13. भारत सरकार के अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से भारतीय क्षेत्र में या क्षेत्र से संचार/ प्रसारण सेवाओं के लिए अंतरिक्ष संसाधनों के प्रयोग को प्राधिकृत करेगा।

    13.1 प्रसारण सेवाओं के लिए प्राधिकृत अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एम.ओ.आई.बी.) के नियमों व नीतियों द्वारा अधिशासित होगा।

    13.2 दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकृत अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) संचार मंत्रालय के नियमों, विनियमों व नीतियों द्वारा अधिशासित होगा।

14. इसरो द्वारा विकसित की गई उन तकनीकों की पहचान करेगा, जो एन.जी.ई. को हस्तांतरण के लिए तैयार है और ऐसी प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को सुगम बनाएगा।

15. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ सहयोग सहित अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में तथा बाह्य अंतरिक्ष में मानव की उपस्थिति के लिए एन.जी.ई. की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

16. ऐसी अवसंरचना में एन.जी.ई. के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक व्यय से सृजित प्रमोचन अवसंरचनाओं के लिए प्रमोचन वस्तुसूची को प्राधिकृत करेगा।

17. अंतरिक्ष संसाधनों की संरक्षा एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।

18. अंतरिक्ष क्रियाकलापों के कारण संभावित क्षति से उत्पन्न देयताओं का निष्पादन करने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।

19. किसी भी प्रमोचित किए जाने वाले संसाधन के लिए पंजीकरण तथा अन्य आवश्यक अनुमोदन सुनिश्चित करेगा।

20. उसी के आधार पर सुदूर संवेदन डेटा और अनुप्रयोगों के यथासंभव प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उच्च विभेदन के सुदूर संवेदन आधारित डेटा (भू-प्रतिदर्श दूरी <=30 से.मी.) के प्रसार के लिए इन-स्पेस द्वारा प्राधिकृत किया जाना आवश्यक है। भू-प्रतिदर्श दूरी>30

सें.मी. के डेटा के लिए इन-स्पेस को सूचित करना अनिवार्य है। उच्च विभेदन के रूप में वर्गीकृत डेटा की सीमाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

21. सभी हितधारकों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए एक समेकित प्रमोचन सूची रखी जाएगी।

22. इन-स्पेस द्वारा शर्तों का निर्धारण किया जाएगा, जिनके तहत प्राधिकृत समझौतों की समीक्षा, रद्दीकरण अथवा आशोधन किया जा सकता है।

23. अंतरिक्ष क्रियाकलापों की एक सूची बनाएगा, जिसे प्राधिकृत करने की आवश्यकता होगी। प्राधिकरण हेतु अपेक्षित अंतरिक्ष क्रियाकलापों की सूची को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

6. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

इसरो राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में, नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों तथा बाह्य अंतरिक्ष की मानव समझ के विस्तार के लिए अनुसंधान और विकास पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करेगा।

इस दिशा में इसरो निम्नलिखित कार्य करेगा :

1. अंतरिक्ष अवसंरचना, अंतरिक्ष परिवहन, अंतरिक्ष अनुप्रयोग, क्षमता निर्माण और मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्रों में भारत की बढ़त को बनाए रखने के लिए नई प्रणालियों के अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास कार्य।

2. एन.जी.ई. और/या सरकारी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं को आदान-प्रदान।

3. इसरो के सुदूर संवेदी उपग्रहों से मुक्त डेटा अभिगम सुनिश्चित करना। इस संबंध में, 5 मीटर और अधिक के जी.एस.डी. के सुदूर संवेदन डेटा को 'निःशुल्क और मुक्त' आधार पर सभी को आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि, जी.एस.डी. के 5 मीटर से कम मान के सुदूर संवेदन डेटा को सरकारी संस्थाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन एन.जी.ई. को उचित और पारदर्शी मूल्य पर प्रदान किया जाएगा।

4. इसरो के सुदूर संवेदी उपग्रहों से प्राप्त अभिलेखित उपग्रह डेटा और उपग्रह से प्राप्त विषय संबंधी डेटा को अधिक मूल्य संवर्धन के लिए तथा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन हेतु निःशुल्क और मुक्त आधार पर 'जो जहां है' की स्थिति में उपलब्ध कराना। विभेदन, विलंबता आदि के संदर्भ में संग्रहित सुदूर संवेदन डेटा के विवरण समय-समय पर सार्वजनिक किए जाएंगे।

5. समानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन और अंतरिक्ष में निरंतर मानव उपस्थिति के लिए दीर्घकालिक रोडमैप विकसित करना। इस दिशा में, यह आवश्यक प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे और परितंत्र की पहचान और विकास करेगा।

6. समानव अंतरिक्ष गतिविधियों से संबंधित बहु-विषयक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सहयोगी ढांचे को परिभाषित और विकसित करना।

7. स्व-स्थाने संसाधनों के उपयोग, खगोलपिंडों संबंधी पूर्वेक्षण और परा भौमिक आवास योग्यता के अन्य पहलुओं पर अध्ययन और मिशन प्रारंभ करना।

8. प्रचालनशील अंतरिक्ष प्रणालियों के निर्माण में उपयोग की जा रही मौजूदा व्यवस्था से बाहर निकलना। इसके बाद, परिपक्व प्रणालियां वाणिज्यिक दोहन के लिए उद्योगों को हस्तांतरित की जाएंगी। इसरो उन्नत प्रौद्योगिकी

में अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे नई प्रणालियां प्रमाणित होंगी और राष्ट्रीय विशेषाधिकारों को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष संबंधी संसाधनों का निर्माण होगा।

9. अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों में अनुसंधान और विकास का अनुसरण करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर उद्योग और शिक्षा के साथ सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना।

7. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड

एनसिल, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में :

1. सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सृजित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों के व्यवसायीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।
2. ठोस वाणिज्यिक सिद्धांतों पर निजी या सार्वजनिक क्षेत्र से अंतरिक्ष घटकों, प्रौद्योगिकियों, प्लेटफार्मों और अन्य परिसंपत्तियों का विनिर्माण करेगा, पट्टे पर लेगा या प्रापण करेगा।
3. उपयोगकर्ताओं की अंतरिक्ष-आधारित आवश्यकताओं, चाहे सरकारी निकाय हों अथवा एन.जी.ई., उन्हें ठोस वाणिज्यिक सिद्धांतों पर सेवा प्रदान करेगा।

8. अंतरिक्ष विभाग:

अंतरिक्ष विभाग निम्नलिखित कार्य करेगा:

1. इस नीति में उल्लिखित जिम्मेदारियों के वितरण की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न हितधारकों को अन्य क्षेत्रों में अतिव्याप्ति के बिना अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयुक्त रूप से सशक्त बनाया गया है।
2. विस्तृत नीतिगत दिशानिर्देशों के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष नीति-2022 के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा जिसके दायरे में विभिन्न हितधारक अपने निर्धारित कार्यों को पूरा करेंगे।
3. इस नीति के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी संदेह की व्याख्या और उसे स्पष्ट करना।
4. राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सतत और बेहतर भू प्रेक्षण क्षमता और डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इस संबंध में, सभी हितधारकों को शामिल करते हुए सुदूर संवेदी प्रणालियों की योजना बनाई और साकार की जाएगी।
5. संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए सतत विकास लक्ष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने और आपदा प्रबंधन प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण सुदूर संवेदी उपग्रह आंकड़े प्रदान कर अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में भाग लेना।
6. निर्धारित व्याप्ति क्षेत्र में फ्री-टू-एयर और सुरक्षित नौवहन संकेतों तथा अंतरिक्ष आधारित संवर्धन संकेतों की सतत् एवं गारंटीकृत उपलब्धता के लिए वर्तमान और भविष्य के उपग्रह समूहों, एस.सी.सी. तथा भू-संरचनाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना।
7. अन्य नौवहन और संवर्धन संकेतों के साथ भारतीय उपग्रह नौवहन और संवर्धन संकेतों की सुसंगतता तथा अंतर प्रचालनशीलता सुनिश्चित करना और उनकी मान्यता, प्रमाणीकरण एवं स्वीकार्यता के उद्देश्य से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मानक निकायों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
8. संगत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष मलबा न्यूनीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में सुरक्षित और स्थायी अंतरिक्ष प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए ढांचा स्थापित करना। यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता क्षमताओं को भी बढ़ाएगा और संबंधित हितधारकों के साथ प्रेक्षण डेटा साझा करेगा।

BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE

9. विदेश मंत्रालय के परामर्श से वैश्विक अंतरिक्ष अभिशासन और कार्यक्रमों के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय का संयोजन करना।

10. विद्यमान कानूनों के अनुसार, अंतरिक्ष गतिविधियों से उत्पन्न किसी भी विवाद को हल करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था सृजित करना।

9. प्रयोज्यता और कार्यान्वयन

यह नीति विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सीमा सहित किसी भी क्षेत्र में अथवा भारतीय क्षेत्र से किए जाने वाले अंतरिक्ष संबंधी क्रियाकलापों पर लागू होती है। इस नीति में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार इसमें निहित प्रावधानों को मामला-दर-मामला आधार पर छूट प्रदान करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE